


8-5-19

पत्रावली पेस हुई। पत्रावली में वादी लख वादी
आधिवक्ता अनुमति प्राप्त है। वादी लख वादी अधिवक्ता
को तीन-तीन बार आवाज लगावाई गई, फिर भी
उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली में आदेश 9 निम्न 3
के तहत अदम हाजरी, अदम फेरली में वाद
स्वारीज किया जाता है।

निर्दिष्ट खुले न्यायालय में सुनाया गया।
पत्रावली फैसल कुमार को दर्ज नम्बर से काम
होकर दाखिल दफतर है।


उपखण्ड मजिस्ट्रेट
खैरवाड़ा, जि. उदयपुर (राज.)